



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 05 मई, 2001 ई०

बैशाख 15, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 5/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 05 मई, 2001

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तरांचल अधिनियम संख्या : 5 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2001

उत्तरांचल राज्य के लिए आकस्मिकता निधि की जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने-अपने राज्य के लिए विधि द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि की व्यवस्था कर सके:

भारत का गणतन्त्र के बावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियमित करती है :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ पश्चात्
1. इस अधिनियम का नाम उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।
 2. उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 2 सन 2001) की धारा 4 में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "तीस" प्रतिस्थापित किया जायेगा।
 3. इससे उत्तरांचल आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश (संख्या 03 सन 2001) निरसित किया जाता है।

आज्ञा
पी० सी०
सचिव

No. 5/Vidhayee And Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, May 05, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Contingency Fund Act (Amendment) Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 5 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 05, 2001.

THE UTTARANCHAL CONTINGENCY FUND ACT (AMENDMENT) ACT,

to provide for the increase in the credit of the Contingency Fund of the State of Uttaranchal.

AN ACT

WHEREAS clause (2) of Article 267 of the Constitution of India provides that the Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund for the State;

In the fifty second year of Republic of India, Uttaranchal Vidhan Sabha enacts as follows :-

Short title and commencement definitions

1. The Act may be called the Uttaranchal Contingency Fund Act (Amendment) Act, 2001.
2. In section 4 of Uttaranchal Contingency Fund Act, 2001 (Act no. 2 of 2001) the word "thirty" is substituted for the word "fifteen".
3. The Uttaranchal Contingency Fund (Amendment) Ordinance (No. 03 of 2001) is hereby repealed.

By Order
P. C.
Secretary